

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/59

लागू तिथि :06.8.2014

चमरौआ स्टेशन पर दोनो ओर के डिस्टेन्ट सिगनल के आस्पैक्ट में परिवर्तन के सम्बन्ध में चमरौआ स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 12.10.2009 की संशोधन पर्ची संख्या 4 दिनांक 10.6.2014

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

(क) सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 6 पैरा 4.4 संशोधित

(ख) सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. पृष्ठ संख्या 61 मद संख्या 1.1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 62 मद संख्या 3 संशोधित
3. आर0डी0 सं0 474 दिनांक 24.9.2004 Alt-'B' दिनांक 12.7.2013 को आर0डी0 सं0 474 दिनांक 24.9.2004 Alt-'C' दिनांक 29.4.2014 द्वारा बदला गया।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा0)
इज्जतनगर

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/59

लागू तिथि : 12.10.2013

चमरौआ स्टेशन पर बैक शंट हेतु दोनो छोर पर अप एवं डाउन शंट सिगनलो तथा चमरौआ-रामपुर के मध्य इंजी० समपार सं० 5/B2 को इन्टरलाक करने के सम्बन्ध में चमरौआ स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 12.10.2009 की संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक 20.8.2013

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 4 पैरा 4.1 क्रमांक संशोधित करके डू एवं च जोड़ा गया
4. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 5(VIII) तथा 6 (1) (डू) संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 6.2 (घ) संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 6.5 (ख) संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6.6(घ) एवं 6.7 संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 11 एवं 12 पैरा 7 में 7.1 जोड़कर संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 71ए परिशिष्ट 'ग' जोड़कर संशोधित
10. पृष्ठ संख्या 74ए परिशिष्ट 'च' जोड़कर संशोधित
11. पृष्ठ संख्या 74बी परिशिष्ट 'छ' जोड़कर संशोधित

गेट परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क-IV' समपार संख्या 5/B2 के गेट अनुदेश पृष्ठ संख्या 75 से 83 तक बदलकर संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 61 मद संख्या 1 संशोधित
2. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 64 मद संख्या 6 में 6.4 जोड़कर संशोधित
3. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 66 मद संख्या 10 में ज एवं झ जोड़कर एवं मद सं० 11(3, 4 एवं 5) को हटाकर संशोधित
4. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 67 मद संख्या 11 (3, 4, 5 जोड़कर 6 से 9 तक) संशोधित
5. आर०डी० सं० 474 दिनांक 24.9.04 Alt-'A' दिनांक 11.12.2010 को Alt-'B' दिनांक 12.7.2013 तथा पी०डी० सं० जि०सि० एवं दूर सं०इ०/92(पी०डी०)1 दिनांक 28.2.92 Alt-'A' दिनांक 6.10.04 को Alt-'B' दिनांक 12.7.13 द्वारा बदला गया।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)
इज्जतनगर

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/59

लागू तिथि 26.6.2012

चमरौआ-रामपुर के मध्य स्थित इंजी0 गेट संख्या 5/सी तथा 19/सी की सामान्य दशा 'बन्द से सामान्य दशा "खुला" करने के सम्बन्ध में चमरौआ स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 12.10.2009 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनांक 20.6.2012

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 6.5 (ख) संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 7 (I) एवं (4) संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 74 परिशिष्ट 'ड' संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क' गेट सं0 13/सी पृष्ठ संख्या 21, 24, 28 बदलकर संशोधित
2. परिशिष्ट 'क-I' गेट सं0 16/B पृष्ठ संख्या 31, 34, 35, 39 बदलकर संशोधित
3. परिशिष्ट 'क-II' गेट सं0 17/C पृष्ठ संख्या 41, 45, 46, 50 बदलकर संशोधित
4. परिशिष्ट 'क-III' गेट सं0 28/C पृष्ठ संख्या 53, 56, 59 बदलकर संशोधित
5. परिशिष्ट 'क-IV' गेट सं0 5/C पृष्ठ संख्या 75 से 83 तक बदलकर संशोधित
6. परिशिष्ट 'क-V' गेट सं0 19/C पृष्ठ संख्या 84 से 92 तक बदलकर संशोधित

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी0
इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा0)
इज्जतनगर

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/59

लागू तिथि 18.1.2011

चमरौआ-रामपुर के मध्य स्थित इंजी0 गेट संख्या 5/सी तथा तथा चमरौआ-बिलासपुर रोड के मध्य 19/सी रक्षित करके टेलीफोन स्टेशन मास्टर चमरौआ से जोड़ने के सम्बन्ध में चमरौआ स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 12.10.2009 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनांक 13.12.2010

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 रूल डायग्राम संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 (I) गेटो का संदर्भ जोड़कर संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 5 गेटो का संदर्भ जोड़कर संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 6.2(घ) संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6.6 (घ) संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.8 संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 8.1(क) (ii), (ख) (ii) संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 8.2 (ख) (ii), 8.3 (iii) संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 10 संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 61 पैरा 1 रूल डायग्राम संशोधित
2. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 67 पैरा 11 गेट संख्या 5/सी एवं 19/सी का संदर्भ जोड़कर संशोधित
3. परिशिष्ट 'क' पृष्ठ सं0 20 मद सं0 (31),(32) एवं पृ0सं0 26 पैरा 2.2(II) (5) गेट लाग बुक प्रोफार्मा संशोधित
4. परिशिष्ट 'क-I' पृष्ठ संख्या 30 मद सं0 (31),(32) एवं पृ0सं0 36 पैरा 2.2(II) (5) गेट लाग बुक प्रोफार्मा संशोधित
5. परिशिष्ट 'क-II' पृष्ठ संख्या 41 मद सं0 (31),(32) एवं पृ0सं0 47 पैरा 2.2(II) (5) गेट लाग बुक प्रोफार्मा संशोधित
6. परिशिष्ट 'क-III' पृष्ठ संख्या 52 मद सं0 (31),(32) एवं पृ0सं0 58 पैरा 2.2(II) (5) गेट लाग बुक प्रोफार्मा संशोधित
7. परिशिष्ट 'क-IV' एवं 'क-V' पृष्ठ संख्या 75 से 92 तक गेट सं0 5/सी एवं 19/सी के अनुदेश जोड़े गये
8. आर0डी0 सं0 474 दिनांक 24.9.2004 को आर0डी0 सं0 474 आल्ड्रेशन 'ए' दिनांक 11.12.2010 द्वारा बदल दिया गया ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी0
इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा0)
इज्जतनगर

इसमे संशोधन पर्ची सं० 4 सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या-इज्जतनगर/59

इज्जतनगर मण्डल

चमरौआ स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि
लागू तिथि
पुनरीक्षण तिथि

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 19.10.2004 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या CSTE / Con / 91 (YD) / 42 .Alt.” K’ पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 474 दिनांक 24.9.2004 आल्ट्रेशन ‘C’ दिनांक 29.4.2014 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

चमरौआ स्टेशन रामपुर जं० - काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन रामपुर जं० से 08.55 किमी० तथा काठगोदाम से 80.61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

बिलासपुर रोड (पूर्व दिशा में) 18.37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रामपुर जं० (पश्चिम दिशा में) 08.55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

हाल्ट स्टेशन :- कैमरी हाल्ट इस स्टेशन से 10.02 किमी० की दूरी पर चमरौआ - बिलासपुर रोड ब्लाक खण्ड में स्थित है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

इसमे संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/59

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

**चमरौआ स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)**

जारी तिथि 12.10.2009

लागू तिथि 29.11.2009

पुनरीक्षण तिथि Oct-2014

"बी" श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 19.10.2004 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या CSTE / Con / 91 (YD) / 42 .Alt." H&P' पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 474 दिनांक 24.9.2004 आल्ट्रेशन 'B' दिनांक 12.7.2013 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

चमरौआ स्टेशन रामपुर जं० - काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर "बी" श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन रामपुर जं० से 08.55 किमी० तथा काठगोदाम से 80.61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

बिलासपुर रोड (पूर्व दिशा में) 18.37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रामपुर जं० (पश्चिम दिशा में) 08.55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

हाल्ट स्टेशन :- कैमरी हाल्ट इस स्टेशन से 10.02 किमी० की दूरी पर चमरौआ - बिलासपुर रोड ब्लाक खण्ड में स्थित है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

इसमे संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 13.12.2010 सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या-इज्जतनगर/59

इज्जतनगर मण्डल

चमरौआ स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 12.10.2009

लागू तिथि 29.11.2009

पुनरीक्षण तिथि Oct-2014

"बी" श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 19.10.2004 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर की एस० आई० पी० संख्या CSTE / Con / 91 (YD) / 42 .Alt."G' पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 474 दिनांक 24.9.2004 आल्ट्रेशन 'ए' दिनांक 11.12.10 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

चमरौआ स्टेशन रामपुर जं० - काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर "बी" श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन रामपुर जं० से 08.55 किमी० तथा काठगोदाम से 80.61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

बिलासपुर रोड (पूर्व दिशा में) 18.37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रामपुर जं० (पश्चिम दिशा में) 08.55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

हाल्ट स्टेशन :- कैमरी हाल्ट इस स्टेशन से 10.02 किमी० की दूरी पर चमरौआ - बिलासपुर रोड ब्लाक खण्ड में स्थित है।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या-इज्जतनगर/59

इज्जतनगर मण्डल

चमरौआ स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 12.10.2009

लागू तिथि 29.11.2009

पुनरीक्षण तिथि Oct-2014

"बी" श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I
(बहु-संकेती रंगीन बल्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/59 दिनांक 19.10.2004 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर की एस० आई० पी० संख्या CSTE / Con / 91 (YD) / 42 .Alt."G" पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 474 दिनांक 24.9.2004 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कौंटों, सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कौंटों तथा लाइनों की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

चमरौआ स्टेशन रामपुर जं० - काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर "बी" श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन रामपुर जं० से 08.55 किमी० तथा काठगोदाम से 80.61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लॉक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

बिलासपुर रोड (पूर्व दिशा में) 18.37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रामपुर जं० (पश्चिम दिशा में) 08.55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

हाल्ट स्टेशन :- कैमरी हाल्ट इस स्टेशन से 10.02 किमी० की दूरी पर चमरौआ - बिलासपुर रोड ब्लॉक खण्ड में स्थित है।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
चमरौआ - बिलासपुर रोड	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (चमरौआ)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (बिलासपुर रोड)
चमरौआ - रामपुर जं०	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (चमरौआ)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (रामपुर जं०)

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो : कोई नहीं।2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

अभिन्यास केवल 2 लाइनो का है। लाइन संख्या 1 एवं 2 परिचालित लाइने है।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन सं०-1	686 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन सं०-2	686 मीटर	मेन लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है। परिचालित लाइन सं० 1 एवं 2 रेल पथ परिपथ युक्त (ट्रैक सर्किटेड) है। रेल पथ परिपथ अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल से डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल और होम सिगनल के मध्य दो रेल की लम्बाई तक भी दोनो ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

(घ) लूप लाइन संख्या 1 पर Inmotion Weigh Bridge लगा हुआ है। इसकी कार्य प्रणाली हेतु समय-समय पर जारी प्रशासनिक आदेशों / निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

2.5.2. अपरिचालित लाइने, एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई :

कोई नहीं।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं : कुछ नहीं।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पृथी सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

2.6. **समपार फाटक :** i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
16-बी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिग० तथा अप होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
17-सी	कॉटा सं० 24 तथा अप प्रस्थान सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
14-सी	अप डिस्टेन्ट तथा होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
18-सी	डाउन डिस्टेन्ट तथा होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
5/B2	चमरौआ - रामपुर के मध्य किमी० 3/15-4/0	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
13-सी	चमरौआ - रामपुर के मध्य किमी० 6/7-8	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
19-सी	चमरौआ - बिलासपुर के मध्य किमी० 10/13-14	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
28-सी	चमरौआ -बिलासपुर रोड के मध्य किमी० सं० 17/10-11	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-V' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :** अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकेन यन्त्र बिलासपुर रोड तथा रामपुर जं० स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है।

(सहायक नियम 14.02(v)] साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें।

(रितेश गुप्ता)

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 दिनांक 20.6.2012 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

2.6. **समपार फाटक :** i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है।

फाटक सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
16-बी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिग० तथा अप होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
17-सी	कॉटा सं० 24 तथा अप प्रस्थान सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
14-सी	अप डिस्टेन्ट तथा होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
18-सी	डाउन डिस्टेन्ट तथा होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
5-सी	चमरौआ - रामपुर के मध्य किमी० 3/15-4/0	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
13-सी	चमरौआ - रामपुर के मध्य किमी० 6/7-8	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
19-सी	चमरौआ - बिलासपुर के मध्य किमी० 10/13-14	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
28-सी	चमरौआ - बिलासपुर रोड के मध्य किमी० सं० 17/10-11	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-V' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :** अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकेन यन्त्र बिलासपुर रोड तथा रामपुर जं० स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है।

(सहायक नियम 14.02(v)] साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
16-बी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिग० तथा अप होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
17-सी	कॉटा सं० 24 तथा अप प्रस्थान सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
14-सी	अप डिस्टेन्ट तथा होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
18-सी	डाउन डिस्टेन्ट तथा होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	नहीं
13-सी	चमरौआ - रामपुर के मध्य किमी० 6/7-8	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं
28-सी	चमरौआ -बिलासपुर रोड के मध्य किमी० सं० 17/10-11	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध।	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-III' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन** :अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकेन यन्त्र बिलासपुर रोड तथा रामपुर जं० स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।

(सहायक नियम 14.02(v)] साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

4. **संकेतन एवं अन्तर्पार्शन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :**

4.1 **विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :** चमरौआ स्टेशन अन्तर्पार्शन मानक I, बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है। यहाँ परिचालित लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 एवं अप होम से डाउन होम सिगनल तक ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कांटो तथा सिगनलो का संचालन स्टेमा० कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें)

प्रदत्त सिगनल :

(क) **अप आगमन सिगनल रामपुर जं० से :-**

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल (अप होम सिगनल संख्या 10 के संकेतों पर आधारित)
अप होम सिगनल संख्या 10 के संकेत निम्न प्रकार हैं -
- (ii) अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ख) **अप प्रस्थान सिगनल (बिलासपुर रोड को)**

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 लाइन संख्या 1 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4 लाइन संख्या 2 से
- (iii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 बिलासपुर रोड स्टेशन से सम्बद्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(ग) **डाउन आगमन सिगनल (बिलासपुर रोड से)**

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल (डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेतों पर आधारित)
डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेत निम्न प्रकार हैं -
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(घ) **डाउन प्रस्थान सिगनल (रामपुर जं० को)**

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 लाइन संख्या 1 से
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 3 लाइन संख्या 2 से
- (iii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 9 रामपुर जं० स्टेशन से सम्बद्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(ङ) **डाउन शंट सिगनल (बिलासपुर रोड की ओर से)**

- (i) डाउन शंट सिगनल संख्या 11 बिलासपुर रोड छोर से लाइन संख्या 1 व 2 में आने के लिए

(च) **अप शंट सिगनल (रामपुर की ओर से)**

- (i) अप शंट सिगनल संख्या 12 रामपुर छोर से लाइन संख्या 1 व 2 में आने के लिए

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

4.1.(क) सभी कांटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कांटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। कांटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु थम्ब स्विच प्रदत्त है। अप एवं डाउन छोरों के लिये पृथक-पृथक दो ग्रुप पुश बटन भी दिये गये हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये हैं। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेंगीं।

(घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल विद्युत यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" दशा से नियन्त्रित है।

(ङ) स्टेशन मास्टर, कांटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को लाक करती है, के द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह लाक स्थिति में होता है, तब यह विद्युतीय रूप से कांटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण विच्छेदित कर देता है। इस प्रकार की लाक व्यवस्था के दौरान कांटों एवं संकेतकों के थम्ब स्विचों का प्रचालन अथवा ग्रुप बटनों का दबाया जाना कोई परिणाम नहीं देगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

चमरौआ स्टेशन अन्तर्पाशन मानक I, बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ परिचालित लाइन संख्या 1, तथा 2 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है।

प्रदत्त सिगनल :(क) अप आगमन सिगनल रामपुर जं० से :-

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल (अप होम सिगनल संख्या 10 के संकेतों पर आधारित)
अप होम सिगनल संख्या 10 के संकेत निम्न प्रकार हैं -
- (ii) अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (बिलासपुर रोड को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 लाइन संख्या 1 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4 लाइन संख्या 2 से
- (iii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 बिलासपुर रोड स्टेशन से सम्बद्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(क) डाउन आगमन सिगनल (बिलासपुर रोड से)

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल (डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेतों पर आधारित)
डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेत निम्न प्रकार हैं -
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ख) डाउन प्रस्थान सिगनल (रामपुर जं० को)

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 लाइन संख्या 1 से
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 3 लाइन संख्या 2 से
- (iii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 9 रामपुर जं० स्टेशन से सम्बद्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

4.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु थम्ब स्विच प्रदत्त है। अप एवं डाउन छोरो के लिये पृथक-पृथक दो ग्रुप पुश बटन भी दिये गये हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये हैं। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेगीं।

(घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल विद्युत यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" दशा से नियन्त्रित है।

(ङ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को लाक करती है, के द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह लाक स्थिति में होता है, तब यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण विच्छेदित कर देता है। इस प्रकार की लाक व्यवस्था के दौरान काँटों एवं संकेतकों के थम्ब स्विचों का प्रचालन अथवा ग्रुप बटनों का दबाया जाना कोई परिणाम नहीं देगा।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (च) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विच को मध्य स्थिति में करके तथा सम्बन्धित पुश बटन दबाकर सिगनलों को “आन” स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा थम्ब स्विच की लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है।
- (छ) सम्बन्धित परिचालित लाइन के प्रस्थान सिगनल का ‘पीला’ संकेत दोनों दिशा में अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग संचलन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु अग्रिम प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विच को ‘आन’ स्थिति में रखते हुये सम्बन्धित काँटों तथा प्रस्थान सिगनल थम्ब स्विचों को प्रचालित किया जाना चाहिये।
- (ज) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।
- 4.1.1 **काँटा थम्ब स्विच संकेत :-** स्टेशन मास्टर के पैनल पर थम्ब स्विच के ऊपर काँटों के सामान्य अथवा विपरीत स्थिति में पूर्णतया सैट एवं लाक होने के संकेत क्रमशः ‘एन’ अथवा ‘आर’ के रूप में दिये गये जो क्रमशः सामान्य स्थिति में सूक्ष्म छोट सफेद प्रकाश तथा रिवर्स स्थिति में छोट हरा प्रकाश प्रकाशित होता है। ऐसे काँटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट ‘ख’ में दिया गया है। काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में एक छोटा लाल प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि काँटे विद्युतीय रूप से लाकड हो गये है। ऐसी स्थिति में थम्ब स्विच को काँटों के प्रचालन हेतु नहीं घुमाना चाहिए।
- 4.1.2 **सिगनल थम्ब स्विच संकेत :-** पैनल के अप छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 और डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेत के नियन्त्रण हेतु एक कामन दो स्थिति वाला थम्ब स्विच संख्या 2 प्रदत्त है। केन्द्रीय स्थिति में होने पर यह स्विच इनमें से किसी भी सिगनल को नियन्त्रित नहीं करता है। 2 की तरफ घुमाने पर यह अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 के संकेत को नियन्त्रित करेगा तथा 1 की ओर घुमाने पर यह डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेत को नियन्त्रित करेगा।
- इसी प्रकार पैनल के डाउन छोर पर भी डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 9 और अप होम सिगनल संख्या 10 के संकेत के नियन्त्रण हेतु एक कामन दो स्थिति वाला थम्ब स्विच संख्या 9 प्रदत्त है। केन्द्रीय स्थिति में होने पर यह स्विच इनमें से किसी भी सिगनल को नियन्त्रित नहीं करता है। 10 की तरफ घुमाने पर यह अप होम सिगनल संख्या 9 के संकेत को नियन्त्रित करेगा तथा 10 की ओर घुमाने पर यह डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 9 के संकेत को नियन्त्रित करेगा।
- डाउन प्रस्थान सिगनलों के प्रचालन के लिये थम्ब स्विच संख्या 3 एवं 5 तथा अप प्रस्थान सिगनल के लिये थम्ब स्विच संख्या 4 एवं 6 प्रदत्त हैं। यह दोनों स्विच दो दशाओं वाले हैं। घुमाये जाने पर ये प्रस्थान सिगनलों के संकेत को नियन्त्रित करेंगे। सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल का आफ संकेत काँटों की दशा के अनुरूप चयनित होगा।
- 4.1.3 **रेल पथ परिपथ :-** परिचालित लाइन संख्या 1 तथा 2, रेल पथ परिपथ युक्त है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के रेल पथ परिपथ भाग को अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब रेल पथ परिपथ भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म लाल प्रकाश जलेगा। इन रेल पथ परिपथों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट ‘ख’ में दिया गया है। रेल पथ परिपथ की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा रेल पथ परिपथ रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।
- 4.1.4 **स्टॉप प्लग :-** थम्ब स्विच रोक प्लग पैनल के प्लग स्टोरेज स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल और या काँटा थम्ब स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचलन को रोकना हो तो इन प्लगों को थम्ब स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में लगा देना चाहिए। ये प्लग स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेगी।
- 4.1.5 **ग्रुप पुश बटन :-** दो ग्रुप पुश बटन यार्ड के दोनों छोरों के लिये नामित है। काँटों और सिगनल स्विचों को वांछित स्थिति में घुमाने के बाद इन ग्रुप बटन को दबाया जायेगा। तभी काँटों और सिगनलों का प्रचालन सम्भव हो पायेगा। सैट किये हुए मार्ग के निरस्तीकरण हेतु सिगनल थम्ब स्विचों को केन्द्रीय स्थिति में वापस कर देने एवं सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबाने पर मार्ग निरस्त हो जायेगा एवं काँटा थम्ब स्विच की लाक लाइट बुझ जायेगी। तत्पश्चात मार्ग बदला जा सकता है।
- 4.1.6 **स्थायी रूप से ताला बन्द काँटों/पृथक्करण (आइसोलेशन) :** यहाँ स्थायी रूप से ताला बन्द काँटों नहीं है।
(जे०पी०शर्मा) (एस०एस०द्विवेदी)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 4 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

(i) **साइडिंग कांटों का संचालन :-** इस स्टेशन पर कोई साइडिंग नहीं है।

(ii) **ट्रेप काँटा :-** कोई नहीं।

4.1.7. **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डल :**

(क) काँटा संख्या- 21 एवं 24 मोटर चालित काँटों है तथा प्रत्येक काँटों पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये काँटों स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इस दशा में काँटों की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। ये काँटों क्रैन्क हैण्डल से निम्न प्रकार संचालित किये जायेंगे -

क्रम संख्या	क्रैन्क हैण्डल संख्या	संचालित किये जाने वाले काँटों
1	जेड -1	21
2	जेड -2	24

क्रैन्क हैण्डल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

(ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैन्क हैण्डल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रैन्क हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डल निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैन्क हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैन्क हैण्डल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेमा के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2 **वीडर काउन्टर :-**

स्टेशन पैनल पर दो वीडर काउन्टर प्रदत्त है।

(i) आपात कालीन मार्ग निरस्तीकरण वीडर काउन्टर- (EUYNKE)

(ii) क्रैन्क हैण्डल कन्ट्रोल स्विच वीडर काउन्टर

4.3 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.4 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः एक IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा/इज्जतनगर

(i) **साइडिंग कांटों का संचालन :-** इस स्टेशन पर कोई साइडिंग नहीं है।

(ii) **ट्रेप काँटा :-** कोई नहीं।

4.1.7. **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डल :**

(क) काँटा संख्या- 21 एवं 24 मोटर चालित काँटों है तथा प्रत्येक काँटों पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये काँटों स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इस दशा में काँटों की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। ये काँटों क्रैन्क हैण्डल से निम्न प्रकार संचालित किये जायेंगे -

क्रम संख्या	क्रैन्क हैण्डल संख्या	संचालित किये जाने वाले काँटों
1	जेड -1	21
2	जेड -2	24

क्रैन्क हैण्डल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

(ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैन्क हैण्डल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रैन्क हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डल निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैन्क हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैन्क हैण्डल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेमा के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2 **वीडर काउन्टर :-**

स्टेशन पैनल पर दो वीडर काउन्टर प्रदत्त है।

(i) आपात कालीन मार्ग निरस्तीकरण वीडर काउन्टर- (EUYNKE)

(ii) क्रैन्क हैण्डल कन्ट्रोल स्विच वीडर काउन्टर

4.3 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.4 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रेक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर जनरेटर की व्यवस्था की गयी है।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

5. दूर संचार :-

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त वी०एस०एन०एल० फोन
- iii) बिलासपुर रोड स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- iv) रामपुर जं० स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक गेट सं० 16/बी (चमरौआ-रामपुर के मध्य) से सम्बन्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक गेट सं० 17/सी (चमरौआ -बिलासपुर के मध्य) से सम्बन्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- vii) इंजी.गेट सं० 13/सी (चमरौआ-रामपुर) से सम्बन्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- viii) इन्टरलाक इंजी.गेट सं० 5/बी2 (चमरौआ-रामपुर) से सम्बन्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- ix) इंजी.गेट सं० 19/सी (चमरौआ-बिलासपुर) से सम्बन्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- x) इंजी.गेट सं० 28/सी (चमरौआ-बिलासपुर) से सम्बन्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- ix) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1 अथवा 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है। इसका तात्पर्य है कि वाँछित लाइन साफ एवं बाधा रहित है। अप गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 16/बी एवं 17/सी तथा डाउन गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 17/सी का गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार बन्द एवं लाक होना पैनल पर गेट क्लोज्ड इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें और सम्बन्धित गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में घुमायें।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को सम्बन्धित लाइन हेतु वाँछित स्थिति में घुमायें। जब काँटें वाँछित स्थिति में सैट एवं लाक हो जायें तब काँटा थम्ब स्विचों के ऊपर हरा/सफेद प्रकाश संकेत जल जाना चाहिये जो इंगित करेगा कि काँटें किस स्थिति में सैट है।
- (घ) परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें तथा सम्बन्धित ग्रुप बटन को भी दबायें। तब सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में लाल बत्ती जल उठेगी जो सूचित करेगी कि काँटें वाँछित दिशा में विद्युतीय रूप से लाक हो गये हैं। यह इंगित करने के लिये कि ये सिगनल "आफ" है, पैनल पर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट प्रकाशित हो जायेगा।
- (ड.) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है। सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस करें एवं कांटों को काँटा थम्ब स्विच से अवरूद्ध लाइन के विपरित सैट करें तथा क्रासिंग की स्थिति में दोनों ओर के कांटों को तुरन्त ही अवरूद्ध लाइन के विपरित सैट करें। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद कांटों को अपनी सामान्य स्थिति में वापस करें।
- (च) गाड़ी के द्वारा इन रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर ट्रैक आक्यूपैन्सी लाल बत्ती जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।

इसमे संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 12.12.2010 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

5. दूर संचार :-

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त वी०एस०एन०एल० फोन
- iii) बिलासपुर रोड स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) रामपुर जं० स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक गेट सं० 16/बी (चमरौआ-रामपुर के मध्य) से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक गेट सं० 17/सी (चमरौआ -बिलासपुर के मध्य) से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- vii) इंजी.गेट सं० 13/सी (चमरौआ-रामपुर) किमी० सं० 6/6-8 से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- viii) इंजी.गेट सं० 5/सी (चमरौआ-रामपुर) किमी० सं० 3/15-4/0 से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- ix) इंजी.गेट सं० 19/सी (चमरौआ-बिलासपुर) किमी० सं० 10/13-14 से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- x) इंजी.गेट सं० 28/सी (चमरौआ-बिलासपुर) किमी० सं० 17/10-11 से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- ix) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1 अथवा 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है। इसका तात्पर्य है कि वाँछित लाइन साफ एवं बाधा रहित है। अप गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 16/बी एवं 17/सी तथा डाउन गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 17/सी का गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार बन्द एवं लाक होना पैनल पर गेट क्लोज्ड इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें और सम्बन्धित गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में घुमायें।
- (ख). स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग). परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को सम्बन्धित लाइन हेतु वाँछित स्थिति में घुमायें। जब काँटे वाँछित स्थिति में सैट एवं लाक हो जायेंगे तब काँटा थम्ब स्विचों के ऊपर हरा/सफेद प्रकाश संकेत जल जाना चाहिये जो इंगित करेगा कि काँटे किस स्थिति में सैट है।
- (घ). परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें तथा सम्बन्धित ग्रुप बटन को भी दबायें। तब सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में लाल बत्ती जल उठेगी जो सूचित करेगी कि काँटे वाँछित दिशा में विद्युतीय रूप से लाक हो गये हैं। यह इंगित करने के लिये कि ये सिगनल "आफ" है, पैनल पर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट प्रकाशित हो जायेगा।
- (ड.) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है, काँटों एवं सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर दे।
- (च). गाड़ी के द्वारा इन रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर ट्रैक आक्यूपैन्सी लाल बत्ती जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।

(जे०पी०शर्मा)

(जवाहर राम)

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

5. दूर संचार :-

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) बिलासपुर रोड स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- iv) रामपुर जं० स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 16/बी (चमरौआ-रामपुर के मध्य) से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 17/सी (चमरौआ -बिलासपुर के मध्य) से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- vii) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 13/सी (चमरौआ-रामपुर) किमी० सं० 6/6-8 से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- viii) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 28/सी (चमरौआ-बिलासपुर) किमी० सं० 17/10-11 से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- ix) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1 अथवा 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है। इसका तात्पर्य है कि वाँछित लाइन साफ एवं बाधा रहित है। अप गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 16/बी एवं 17/सी तथा डाउन गाड़ियों के मामले में गेट संख्या 17/सी का गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार बन्द एवं लाक होना पैनल पर गेट क्लोज्ड इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें और सम्बन्धित गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में घुमाये।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।
- (ग) परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को सम्बन्धित लाइन हेतु वाँछित स्थिति में घुमायें। जब काँटें वाँछित स्थिति में सैट एवं लाक हो जायेंगे तब काँटा थम्ब स्विचों के ऊपर हरा/सफेद प्रकाश संकेत जल जाना चाहिये जो इंगित करेगा कि काँटें किस स्थिति में सैट है।
- (घ) परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें तथा सम्बन्धित ग्रुप बटन को भी दबायें। तब सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में लाल बत्ती जल उठेगी जो सूचित करेगी कि काँटें वाँछित दिशा में विद्युतीय रूप से लाक हो गये हैं। यह इंगित करने के लिये कि ये सिगनल "आफ" है, पैनल पर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट प्रकाशित हो जायेगा।
- (ड.) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा काँटों एवं उल्लघन चिन्हों को साफ कर दिया है, काँटों एवं सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर दे।
- (च) गाड़ी के द्वारा इन रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर ट्रैक आक्यूपैन्सी लाल बत्ती जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।

(जे०पी०शर्मा)

(एस०एस०द्विवेदी)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, फाटक वाला एवं काँटा वाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। रेल पथ परिपथ की विफलता एवं बल्बों के फ्यूज़ हो जाने की स्थिति में लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर के भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 13/सी, 19/सी तथा डाउन गाड़ी के लिये 5/बी2 28/सी के गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रॉसिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

(रितेश गुप्ता)

(जे०ए०आज़मी)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 12.12.2010 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, फाटक वाला एवं काँटा वाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। रेल पथ परिपथ की विफलता एवं बल्बों के फ्यूज़ हो जाने की स्थिति में लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर के भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 13/सी, 19/सी तथा डाउन गाड़ी के लिये 5/सी 28/सी के गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रॉसिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, फाटक वाला एवं काँटा वाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-**दिन की पाली :**

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटा वाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। रेल पथ परिपथ की विफलता एवं बल्बों के फ्यूज़ हो जाने की स्थिति में लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर के भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 13/सी तथा डाउन गाड़ी के लिये 28/सी के गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा०एवं सहा०नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिगंएवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :- कुछ नहीं।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- कुछ नहीं।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना
कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) जिस परिचालित लाइन पर गाड़ी का आगमन कराया जाना है वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसके क्लीयर होने का दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटों अभिप्रेत लाइन के लिये सेट और लाक हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख कॉटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) अप गाड़ियों के लिये गेट संख्या 16/बी तथा 17/सी और डाउन गाड़ियों के लिये गेट संख्या 17/सी को बन्द करके पाशित कर दिया गया हो तथा इनके बन्द एवं लाक होने का स्पष्ट इंडिकेशन पैनल पर आ गया हो।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रॉसिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रॉसिंग की अनुमति है।
- (ग) गाड़ियों का एक साथ अप एवं डाउन दिशा में प्रस्थान कराया जा सकता है।

(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एलवी बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है
- (ख) रुकने वाली डाउन गाड़ियों के मामले में यातायात समपार 17/सी पर कार्यरत गेटमैन गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राईवेट नं० के साथ देगा तथा स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन इसे अपने-अपने लॉग रजिस्टर में लिखेंगे। डाउन गाड़ी अपूर्ण आने की स्थिति में तथा अप गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इनटेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा।

(साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 दिनांक 20.6.2012 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.2.1.2 अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :- कुछ नहीं।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- कुछ नहीं।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना
कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) जिस परिचालित लाइन पर गाड़ी का आगमन कराया जाना है वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसके क्लीयर होने का दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटों अभिप्रेत लाइन के लिये सेट और लाक हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख कॉटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) अप गाड़ियों के लिये गेट संख्या 16/बी तथा 17/सी और डाउन गाड़ियों के लिये गेट संख्या 17/सी को बन्द करके पाशित कर दिया गया हो तथा इनके बन्द एवं लाक होने का स्पष्ट इंडिकेशन पैनल पर आ गया हो।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रॉसिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रॉसिंग की अनुमति है।
- (ग) गाड़ियों का एक साथ अप एवं डाउन दिशा में प्रस्थान कराया जा सकता है।

(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एलवी बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है
- (ख) रुकने वाली डाउन गाड़ियों के मामले में यातायात समपार 17/सी पर कार्यरत गेटमैन गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राईवेट नं० के आदान-प्रदान के साथ देगा तथा स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन इसे अपने-अपने लॉग रजिस्टर में लिखेंगे। डाउन गाड़ी अपूर्ण आने की स्थिति में तथा अप गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इनटेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा।

(साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :- कुछ नहीं।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- कुछ नहीं।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना
कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) जिस परिचालित लाइन पर गाड़ी का आगमन कराया जाना है वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसके क्लीयर होने का दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटों अभिप्रेत लाइन के लिये सेट और लाक हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख कॉटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) अप गाड़ियों के लिये गेट संख्या 16/बी तथा 17/सी और डाउन गाड़ियों के लिये गेट संख्या 17/सी को बन्द करके पाशित कर दिया गया हो तथा इनके बन्द एवं लाक होने का स्पष्ट इंडिकेशन पैनल पर आ गया हो।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।
- (ग) गाड़ियों का एक साथ अप एवं डाउन दिशा में प्रस्थान कराया जा सकता है।

(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एलवी बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है
- (ख) रुकने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में वह गार्ड से इस उद्देश्य हेतु काँटावाला कर्मचारी द्वारा भेजी गयी पूर्ण आगमन पुस्तिका के निर्धारित प्रपत्र टी-1410 पर पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :- जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकन यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें। अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 17/सी तथा डाउन गाड़ी के लिये 16/बी के गेट मैनु को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित कर बन्द एवं लाक करा दिया गया हों तथा स्टेशन पैनल पर इनके बन्द एवं लाक होने स्पष्ट संकेत आ जाने के बाद सम्बन्धित गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में घुमाये।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालों में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (घ) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें। डाउन गाड़ी के मामले में सुनिश्चित करें कि गेट संख्या 5/बी2, 13/सी तथा अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 19/सी, 28/सी को बन्द एवं पाशित करने लिये सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है।
- (ङ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हो, तब अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये हैं एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल के "आफ" संकेत पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात "प्रस्थान प्राधिकार" ड्राइवर को दे दिया जाय। कार्यरत स्टेशन मास्टर डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (च) गाड़ी के द्वारा रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलती (लाल) जल जायेगी और जब गाड़ी इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (छ) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल को पार कर गयी है, काँटें एवं संकेतक थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। जब गाड़ी मुख्य लाइन संख्या 2 से होकर जाय तो बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार लाइन क्लीयर पिक अप उपस्कर पर ही दिया जाये।
- (ख) यदि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 से बिना रुके सीधे जाय तो ड्राइवरो को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से ही दिया जाना चाहिये। होम सिगनल थम्ब स्विच के साथ-साथ अग्रिम प्रस्थान तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को भी प्रचालित कर देना चाहिये। तथापि प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत तभी धारण करेगा जब बर्थिंग ट्रेक इंजन आक्यूपाइड कर लेगा।
- (ग) किसी गाड़ी को बिना रुके सीधे जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बद्ध लाइनो पर शन्टिंग अवश्य ही बन्द कर दी जायेगी और इंजन से न जुड़े हुये वाहनो को समुचित रूप से सुरक्षित कर दिया जाये। (साधारण एवं सहायक नियम 5.23 देखें)
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जायेगी।
- (ङ) जब प्लेटफार्म रहित लाइन पर कोई यात्री गाड़ी खड़ी हो तो प्लेटफार्म लाइन से कोई भी गाड़ी बिना रुके सीधे नहीं जायेगी। (सहायक नियम 5.01(14)(iv) देखें)

(रितेश गुप्ता)

(जे०ए०आज़मी)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 13.12.2010 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकन यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें। अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 17/सी तथा डाउन गाड़ी के लिये 16/बी के गेट मैनु को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित कर बन्द एवं लाक करा दिया गया हों तथा स्टेशन पैनल पर इनके बन्द एवं लाक होने स्पष्ट संकेत आ जाने के बाद सम्बन्धित गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में घुमाये।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालों में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (घ) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित कॉटा थम्ब स्विच को वॉछित स्थिति में घुमायें। डाउन गाड़ी के मामले में सुनिश्चित करें कि गेट संख्या 5/सी, 13/सी तथा अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 19/सी, 28/सी को बन्द एवं पाशित करने लिये सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है।
- (ङ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हो, तब अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को वॉछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये हैं एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत प्रदर्शित करेंगे जो पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात "प्रस्थान प्राधिकार" ड्राइवर को दे दिया जाय। तत्पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (च) गाड़ी के द्वारा रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्ती (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (छ) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल को पार कर गयी है, कॉटों एवं संकेतक थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, एवं 2 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। जब गाड़ी मुख्य लाइन संख्या 2 से होकर जाय तो बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार लाइन क्लीयर पिक अप उपस्कर पर ही दिया जाना चाहिये।
- (ख) यदि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 से बिना रुके सीधे जाय तो ड्राइवरो को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से ही दिया जाना चाहिये। होम सिगनल थम्ब स्विच के साथ-साथ अग्रिम प्रस्थान तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को भी प्रचालित कर देना चाहिये। तथापि प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत तभी धारण करेगा जब बर्थिंग ट्रेक इंजन आक्यूपाइड कर लेगा।

(जे०पी०शर्मा)

(जवाहर राम)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकन यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें। अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 17/सी तथा डाउन गाड़ी के लिये 16/बी के गेट मैनु को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित कर बन्द एवं लाक करा दिया गया हों तथा स्टेशन पैनल पर इनके बन्द एवं लाक होने स्पष्ट संकेत आ जाने के बाद सम्बन्धित गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में घुमाये।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालों में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (घ) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सम्बन्धित कॉटा थम्ब स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें। डाउन गाड़ी के मामले में सुनिश्चित करें कि गेट संख्या 13/सी तथा अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 28/सी को बन्द एवं पाशित करने लिये सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है।
- (ङ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हो, तब अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये हैं एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत प्रदर्शित करेंगे जो पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात "प्रस्थान प्राधिकार" ड्राइवर को दे दिया जाय। तत्पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (च) गाड़ी के द्वारा रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलित (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (छ) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल को पार कर गयी है, कॉटें एवं संकेतक थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, एवं 2 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। जब गाड़ी मुख्य लाइन संख्या 2 से होकर जाय तो बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार लाइन क्लीयर पिक अप उपस्कर पर ही दिया जाना चाहिये।
- (ख) यदि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 से बिना रुके सीधे जाय तो ड्राइवरों को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से ही दिया जाना चाहिये। होम सिगनल थम्ब स्विच के साथ-साथ अग्रिम प्रस्थान तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को भी प्रचालित कर देना चाहिये। तथापि प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत तभी धारण करेगा जब बर्थिंग ट्रेक इंजन आक्यूपाइड कर लेगा।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिगं एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख तथा अनुमुख दोनों स्थितियों में काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है
साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरूध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

- 1 स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
- 2 उस लाइन से सम्बन्धित काँटों विपरीत सैट करेगा।
- 3 चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
- 4 जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरूध्द हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
- 7.1 **स्टेबुल वाहनो / वैगनो / लोड का सिक्वोरिंग:-**
जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहनधवाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बाँध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 दिनांक 20.6.2012 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख तथा अनुमुख दोनों स्थितियों में काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है
साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा कि सिक्योरिंग के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है और इसकी पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राईवेट नं० को एक्सचेन्ज करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटों विपरीत सेट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यमुक्त करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खाड़े वाहनो (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है।
- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख तथा अनुमुख दोनों स्थितियों में काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.72 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरूद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूद्ध हो, उसका समुचित विवरण लिखेगा।
 2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटों विपरीत सैट करेगा।
 3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यमुक्त करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
 4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरूद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है।
- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्कोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्कोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

टिप्पणी : 1 BOX, BOBS, BOI, BRH तथा नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक है। स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-

- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये।
 साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
 i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों। (स्टेशन पैनल पर इन्डिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
 iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
 iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।
- (ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग** : निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
 i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों। (स्टेशन पैनल पर इन्डिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
 iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 iv) चालक को शन्टिंग आदेश टी-806 देने के साथ-साथ टोकन भी दिया जाना चाहिये।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 13.12.2010 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

टिप्पणी :

- बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।
- जहाँ अकेले रोलर बीयरिंग लगे हुए स्टाक की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम गति प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़ में पॉच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम इम्पैक्ट स्पीड 2.4 किमी०स प्रति घन्टा से अधिक नहीं होनी चाहिए। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
 - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 - ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों। (स्टेशन पैनल पर इन्डिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
 - iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
 - iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।
- ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :** निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
 - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 - ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों। (स्टेशन पैनल पर इन्डिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
 - iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 - iv) चालक को शन्टिंग आदेश टी-806 देने के साथ-साथ टोकन भी दिया जाना चाहिये।

जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

टिप्पणी :

- बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।
- जहाँ अकेले रोलर बीयरिंग लगे हुए स्टाक की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम गति प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़ में पाँच वाहनो की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम इम्पैक्ट स्पीड 2.4 किमी०स प्रति घन्टा से अधिक नहीं होनी चाहिए। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तो का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
 - स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो ।
 - चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय ।
- प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग : निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-
 - स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 - चालक को शन्टिंग आदेश टी-806 देने के साथ-साथ टोकन भी दिया जाना चाहिये ।

इसमे संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 13.12.2010 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों । (स्टेशन पैनल पर इन्डिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
 - सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 - गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों । (स्टेशन पैनल पर इन्डिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय ।

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद शन्टिंग की अनुमति नहीं है। साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

- शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
- सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
- गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :

परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10.1 के अनुसार कार्यवाही करें।

8.6. बहिर्वर्ती (आउट लेंडिंग) साइडिंग की कार्य विधि : कोई नहीं।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कौंटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कौंटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों ।
 - सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 - गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय ।

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद शन्टिंग की अनुमति नहीं है। साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

- शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
- सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
- गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कौंटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :

परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10.1 के अनुसार कार्यवाही करें।

8.6. बहिर्वर्ती (आउट लेंडिंग) साइडिंग की कार्य विधि : कोई नहीं।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

- (क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :
ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।
(साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।
- 2(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-
 - (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगा ।
 - (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
 - (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा ।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचालन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचालन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।
- (ख) कैन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-
संचालन नियम के पैरा 4.1.7 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 9 के अनुसार कार्य किया जायेगा।
- (ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-
इस स्टेशन पर कॉलिंग आन सिगनल का प्रावधान नहीं है।

- (घ). काँटों, ट्रैक सर्किट/ एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :
संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 12 को देखें।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन
(ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
(च) वी० एच० एफ० सेट

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
(ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा।

(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को “आन” स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए ‘सशर्त लाइन क्लीयर संदेश’ प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियाँ चल सकती हैं यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

9.4. विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।
- (ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब इस उद्देश्य से लगे आईपीएस उपकरण द्वारा स्वतः विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। यदि आईपीएस पैनल पर एलार्म बजता है तथा लाल बत्ती जलने लगती है तो एलार्म बन्द करने के लिये ACK/Reset पुश बटन दबायें तथा जनरेटर स्टार्ट करें। यदि आपीएस सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो एलार्म तभी बन्द होगा जब जनरेटर चला दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को सिस्टम ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। (आईपीएस सिस्टम के विस्तृत निर्देश हेतु परिशिष्ट "ख" का पैरा 13 (क) देखें)
- (ग) जब मुख्य व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति पुनः उपलब्ध हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे। जनरेटर के रुक जाने पर मुख्य आपूर्ति स्वतः पद्धति को पोषित करने लगेगी।
- (घ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में चार घंटे से अधिक नहीं चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर चार घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।
- (ङ) एक डीजल जनरेटर को चार घंटे चला लेने के उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर स्टेशन पर प्रदत्त दूसरे जनरेटर को चलाया जाना चाहिए। अगर मुख्य व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति विफलता जारी रहती है तो दोनों जनरेटरों को इसी क्रम में चलाया जा सकता है।
- (च) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।
- (छ) स्टेमा/सस्टेमा प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचालन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेंगे। स्टेमा/सस्टेमा निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिगं एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 13.12.2010 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/59

चमरौआ

प्रारूप

1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम संख्या	दिनांक	आई० पी० एस० की चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
-------------	--------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------	---------

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

(क) **अप छोर :** दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेमा० को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देती हो।

(ख) **डाउन छोर :** दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेमा० को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देती हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर :** परिशिष्ट "ड" देखें।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :**

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. **परिशिष्टों की सूची :**

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) - इस स्टेशन पर लागू नहीं है।

परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम - इस स्टेशन पर लागू नहीं है।

परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम - इस स्टेशन पर लागू नहीं है।

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

प्रारूप**2. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :**

क्रम संख्या	दिनांक	आई० पी० एस० की चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
-------------	--------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------	---------

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) **अप छोर :** दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 का प्रकाश जैसा कि सस्टेमा० कार्यालय के सामने से दिखायी देती हो।
- (ख) **डाउन छोर :** दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 का प्रकाश जैसा कि सस्टेमा० कार्यालय के सामने से दिखायी देती हो।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें।**12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फॉग सिगनलमैनो के नाम :**

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. परिशिष्टों की सूची :

- परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन
- परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
- परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) - इस स्टेशन पर लागू नहीं है।
- परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
- परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
- परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम - इस स्टेशन पर लागू नहीं है।
- परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम - इस स्टेशन पर लागू नहीं है।

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

71A

इसमें संशोधन पर्ची सं0 3 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/59

चमरौआ

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कचच)

लागू नहीं

(जे0ए0आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगा।

(घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, काँटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/59

चमरौआ

9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. सिगनल अथवा कॉटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
 - i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- जो कॉटें, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटक वाला के कर्तव्य :-

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 दिनांक 20.6.2012 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/59

चमरौआ

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 05 बैट्री आपरेटेड
- 04 के० आयल |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 06 हरी तथा 08 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 04 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 06 तालो सहित |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 7. | फायर बकेट | - 06 |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप | - 02 |
| 9. | लकड़ी के गुटके | - 04 |

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 05 बैट्री आपरेटेड
- 04 के० आयल |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 06 हरी तथा 08 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 04 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 06 तालो सहित |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 7. | फायर बकेट | - 06 |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप | - 02 |

(एस०एस०द्विवेदी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

74A

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/59

चमरौआ

परिशिष्ट 'च'

डी.के.स्टेशन,हाल्ट, आई.बी.एच.,आई.बी.एस.और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

74B

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/59

चमरौआ

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

लागू नहीं

(जे०एस०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर